Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

गणेश घाकड **बनाम** **मुकेश कुमार वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994**

किस्म मुकदमा **निगरानी (पंचायत)** नं0 **002** सन् **2017**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। निगराकार स्वयं हाजिर। हाजिर निगराकार की पहचान अधिवक्ता निगराकार द्वारा की गई। वकील निगराकार ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि निगराकार एवं गैर–निगराकार आपस में रिश्तेदार होकर एक ही परिवार के सदस्य है जिनके मध्य गांव में मौतबिरान द्वारा समझाईश करा दी है। समझाईश से कोई विवाद शेष नहीं है, अतः निगरानी में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली रिकार्ड पर लिया जाता है शामिल पत्रावली रहें। नकल वकील गैर–निगराकारान को दिलवाई गई। इस पर हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो पर सुना गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र विड्रो किये जाने बाबत् कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण पक्षकारान के मध्य किसी भी विवाद समाप्त हो गया है एवं पक्षकारान प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते है इसके साथ ही निगराकार स्वयं भी अपनी निगरानी नहीं चलना चाहता है, ऐसी स्थिति में लोक अदालत की भावना से वकील निगराकार के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 12.06.2024	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official